

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद, उ0प्र0,  
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-02-विमान पत्तन-102 हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों के रख-रखाव तथा प्रबन्ध के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-03/14(बजट)/2052-2019-20, दिनांक 01.04.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-02-विमान पत्तन-102 हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों के रख-रखाव तथा प्रबन्ध के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू448.65 लाख वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस/2019-231/2019, दिनांक 22.03.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदेश के समस्त जनपदों को विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत आवंटित करने हेतु तालिका के कालम 04 में उल्लिखित धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**तालिका**

(रू0 लाख में)

क्र0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1.	01-वेतन	264.58	264.58
2.	02-मजदूरी	0.12	0.12
3.	03-महँगाई भत्ता	39.69	39.69

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4.	04-यात्रा व्यय	0.50	0.50
5.	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20
6.	06-अन्य भते	2.00	2.00
7.	08-कार्यालय व्यय	4.00	4.00
8.	09 विद्युत देय	100.00	100.00
9.	42-अन्य व्यय	2.00	2.00
10.	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.50	0.50
11.	49-चिकित्सा व्यय	1.00	1.00
12.	51-वर्दी व्यय	1.50	1.50
13.	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	16.74	16.74
14.	55-मकान किराया भत्ता	13.10	13.10
15.	56-नगर प्रतिकर भत्ता	2.62	2.62
16.	58.आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.10	0.10
कुल योग		448.65	448.65

2- उक्त आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय न किया जाय । साथ ही साथ मदों के क्रियान्वयन में व्यय हेतु धन आवंटित करते समय व्यय स्वीकृत धनराशि के भीतर ही सीमित रखा जाए और बजट मैनुअल में निहित वित्तीय निर्देशोंका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए ।

3- मानक मद संख्या-52 में प्राविधानित धनराशि का व्यय वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश 24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22-12-2017 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा ।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5- स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक-06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटित की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में दिये गये प्राविधानानुसार किये जाने वाला व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इस सम्बन्ध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बी0एम0-13 प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह सूचना दो प्रतियों में शासन को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

6-उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस/2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-02-विमान पत्तन-102 हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों के रख-रखाव तथा प्रबन्ध के अन्तर्गत सुसंगत मदों व प्राथमिकत इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या 10/2019/455/एक-4-2019-रा0-4, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2- महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- राजस्व अनुभाग-6
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।